

न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) लखनऊ

WWW.LIVELAW.IN

मु0अ0स0-31/2021

अं0धा0-120बी, 153ए, 295ए, 505 (1) बी, 505

(2), 469 आई0पी0सी0

व 66, 66ब व 67 आई0टी0 एक्ट

थाना-हजरतगंज, जिला-लखनऊ।

दिनांक-03.02.2022

प्रार्थनापत्र पेश हुआ। प्रार्थिनी का मुख्य रूप से प्रार्थनापत्र में कथन है कि प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1794/2021 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा अपने आदेश दिनांकित-22.02.2021 में प्रार्थिनी को निर्देशित किया गया था कि प्रार्थिनी सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगी। प्रार्थिनी द्वारा अपने वृद्ध पिता एवं बीमार माता से मिलने जाने हेतु विदेश जाने का कथन किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा मुम्बई से दुबई का टिकट दिनांकित-04.02.2022 का एवं वापसी का टिकट दिनांक-12.02.2022 को प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न किया गया है। अतः प्रार्थिनी द्वारा देश छोड़ने की अनुमति प्रदान करने की याचना की गयी है।

सुना तथा प्रार्थनापत्र, सम्बन्धित थाने की आख्या व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश का ससम्मान अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांकित 22.02.2021 के पैरा संख्या-5 में अभिलिखित है कि "The accused-applicant is directed to fully cooperate in the ongoing investigation. The accused-applicant will not leave the country without prior permission of the competent Court."

अतः प्रार्थिनी को विदेश जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश की समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी व इस बात का वचनपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करेगी कि वह विवेचनाधिकारी/न्यायालय के समक्ष विवेचना में सहयोग करने हेतु उपस्थित रहेगी तथा अपनी अनुमति का दुरुपयोग नहीं करेगी।